राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–II/16289–301

दिनांक :–25.2.2013

आदेश संख्या 290/2012–13

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नियम 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदौन्नति हेतु गठित विभागीय पदौन्नति समिति वर्ष 2009–2010 की बैठक में श्री उत्तम चन्द जैन, कनिष्ठ लेखाकार (362/86) जन्म दिनांक 30.09.1963 के द्वारा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के कम में दिये जांने वाले संतान घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण डी.पी.सी द्वारा इनकी पदोन्नति घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर किया गया था।

श्री उत्तम चन्द जैन, कनिष्ठ लेखाकार (362/86) के द्वारा वांछित संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण श्री उत्तम चन्द जैन, कनिष्ठ लेखाकार को वर्ष 2009–2010 के पदौन्नति कोटे के विपरीत लेखाकार की पे बेण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3600 (12) मे स्थापन्न रुप से नियुक्त किया जाता है । वरिष्ठता चयन सूची में श्री जैन की वरिष्ठता क. सं. 68 पर अंकित श्री प्रहलाद सिंह नरूका (361/86) एवं कम संख्या 70 पर अंकित श्री राकेश कुमार गर्ग, (363/86 कम संख्या) के मध्य कम संख्या 69 पर निर्धारित की जाती है ।

श्री उत्तम चन्द जैन को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.10 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण में केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री उत्तम चन्द जैन कनिष्ठ लेखाकार कोष कार्यालय भीलवाडा को पदौन्नति पर कोषालय भीलवाडा में लेखाकार के अस्थाई कमोन्नत पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन होगी ।

निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–II/16289–301

दिनांक :–25.2.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. कोषाधिकारी, भीलवाडा
2. श्री उत्तम चन्द जैन, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोष कार्यालय भीलवाडा को भेजकर लेख है कि वे पदोन्नति पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर सूचना भिजवावें ।
3. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)
4. संयुक्त निदेशक (विधी)
5. निजी सहायक निदेशक महोदय
6. गोपनीय/डी.पी.सी/कम्प्युटर अनुभाग
7. निजी पत्रावली/ रक्षित पंजिका

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)